भारत सरकार

कार्यालय

Office of the

आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions),

तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur – 302015

नाम Name	**PRABHA DEVI MEMORIAL SHODH EVAM SIKSHAN SANSTHAN**
पता Address	Kabri Dungri, Gram Kudiyon Ka Bass, Post-Jorpura(Sundariyawas v.i. Jobner) Tehsil-Kinshangarh Renwal, Jaipur(Raj.)-303382
स्थाई खाता संख्या PAN	**AACAP9652Q**
धारा 12एए के अधीन पंजीकरण की संख्या तथा दिनांक No. & Date of Registration U/s 12AA	**AACAP9652Q/08/2017-18/S-350/12AA, dated 31.01.2018**
धारा 80 जी के अधीन आवेदन पत्र की दिनांक Date of Application U/s 80G	**22/08/2017**
आदेश की दिनांक Date of order	**31/01/2018**
80 जी के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) Unique Registration No (URN) for 80G	**AACAP9652Q/08/2017-18/S-351/80G**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत् स्वीकृति आदेश
APPROVAL UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

उपर्युक्त न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अधीन पंजीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्त्ता, **PRABHA DEVI MEMORIAL SHODH EVAM SIKSHAN SANSTHAN,** Kabri Dungri, Gram Kudiyon Ka Bass, Post-Jorpura(Sundariyawas v.i. Jobner) Tehsil-Kinshangarh Renwal, Jaipur(Raj.)-303382 को दिये गये दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत, धारा 80जी की उप–धारा(5) के उपबंध (i) से (v) एव उपधारा (5बी) में वर्णित शर्तों के अधीन कटौती का पात्र होगा।

The aforesaid Trust/Society/Non-profit Company/Institution is registered u/s 12AA of Income-tax Act. It is certified that donation made to ____________________, shall qualify for deduction u/s 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 subject to the fulfilment of conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) and sub section (5B) of section 80G of the I.T. Act 1961.

2. यह स्वीकृति दिनांक **22-08-2017** से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप से मान्य होगी ।
This approval shall be valid in perpetuity w.e.f. __________ unless specifically withdrawn.

3. आय की वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर. 7 में आय व्यय खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे के साथ, **आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड–1, जयपुर** जिनके पास आपका क्षेत्राधिकार है को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होगी।
The Return of Income in I.T.R.-7 along with the Income & Expenditure Account, Receipts and Payment Account and Balance Sheet should be submitted annually to the **Income-tax Officer (Exemptions), ward** __________ having jurisdiction over the case.

4. आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्वानुमोदन के बिना न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, न्यास- लेख/विद्यान पत्र में परिवर्तन नही कर सकेगा।
No change in the Trust Deed/Memorandum of Association shall be effected without the prior approval of the **Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur.**

5. दानदाता को जारी प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की विशिष्ट पंजीयन संख्या एवं दिनांक अंकित करनी होगी।
Every receipt issued to a donor shall bear the Unique Registration Number (URN) and date of this order.

6. धारा 12एए के अधीन पंजीकृत अथवा धारा 10(23सी)(vi)/(via) इत्यादि में स्वीकृत न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को उनके द्वारा चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि की लेखा बहियां धारा 80जी (5)(i)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत अलग से रखनी होगी तथा उक्त गतिविधि को प्रारम्भ करने के एक माह के भीतर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को सूचित करना होगा।
Under the provisions of section 80G(5)(i)(a), the Trust/Society/Non-profit Company/Institution registered u/s 12A / 12AA(1)(b) or approved u/s 10(23C)(vi)/(via), etc., shall have to maintain separate books of accounts in respect of any business activity carried on and shall intimate Commissioner of Income-tax (Exemption), Jaipur within one month about commencement of such activity.

7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के इतर, न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान किसी प्रकार का अधिभार, शुल्क अथवा अन्य प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकेगी।
No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

8. **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5डी) के प्रावधान के अनुसार दानदाता को रू.2000/-(दो हजार रूपये) से अधिक दिये गये नकद दान पर छूट प्राप्त नही होगी।**
No deduction shall be allowed to donor, as per section 80G(5D) of the Income Tax Act; 1961, in respect of donation made in cash exceeding Rs.2000/-(Rupees two thousand).

हस्ता/-
(मुकेश वर्मा)
(Mukesh Verma)
आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur.

क्रमांकः- आ.आ. (छूट) जयपुर/आ.अ. (मु.)/2017-18/ दिनांकः- 31 जनवरी, 2018
No. CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2017-18/ 8205 **Dated:** 12-2

प्रतिलिपि प्रेषितः-
1-निर्धारिती/Assesse- **PRABHA DEVI MEMORIAL SHODH EVAM SIKSHAN SANSTHAN,** Kabri Dungri, Gram Kudiyon Ka Bass, Post-Jorpura(Sundariyawas v.i. Jobner) Tehsil-Kinshangarh Renwal, Jaipur(Raj.)-303382.

2-निर्धारण अधिकारी/Assessing Officer - The Asstt. Commissioner of Income-tax holding charge of Income-tax Officer (Exemptions), Ward-1, Jaipur.

(अजय कुमार गुप्ता)
(Ajay Kumar Gupta)
आयकर अधिकारी (मुख्या.)
Income Tax Officer (H.Qrs.)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur

भारत सरकार

कार्यालय

Office of the

आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions),

तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur – 302015

नाम Name	**PRABHA DEVI MEMORIAL SHODH EVAM SIKSHAN SANSTHAN**
पता Address	Kabri Dungri, Gram Kudiyon Ka Bass, Post-Jorpura(Sundariyawas v.i. Jobner) Tehsil-Kinshangarh Renwal, Jaipur(Raj.)-303382
स्थाई खाता संख्या PAN	**AACAP9652Q**
आदेश की दिनांक Date of order	31/01/2018
12 ए ए (1)(बी) के लिए यूनिक पंजीयन संख्या (यू.आर.एन.) Unique Registration No (URN) for 12AA(1)(b)	**AACAP9652Q /08/2017-18/S-350/12AA**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए(1)(बी) के तहत पंजीयन आदेश
Order of Registration u/s 12AA (1) (b) of the Income Tax Act, 1961

1. आवेदक द्वारा प्रपत्र सं. 10ए में धारा 12ए के अधीन पंजीयन हेतु दिनांक **22.08.2017** को आवेदन किया गया।
   An application in Form No.10A seeking Registration u/s 12A was filed on ___________.

2. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्था का गठन लिखित न्यास लेख/विद्यान पत्र मे वर्णित उद्देश्यो हेतु, दिनांक **26.02.2014** को किया गया है।
   The Trust/Society/Non-profit Company/Institution was constituted by deed of trust / memorandum of association/instrument dated ________ indicating its objects.

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आवेदक न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान का "**कल्याणार्थ**" न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान के रूप में पंजीकरण किया जाता है तथा धारा 11 तथा 12 के प्रावधान इस मामले में दिनांक **01.04.2017** से लागू होगें। न्यास/सोसायटी/कम्पनी/संस्थान को इस कार्यालय में बनाए गए रजिस्टर में क्रम संख्या **AACAP9652Q/08/2017-18/S-350** पर पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया है:–

   After considering the material available on record, the applicant Trust/Society/Non-profit Company/Institution is granted registration as _______________ Trust/Society/Non-Profit Company/Institution and is registered at _______________ of the register maintained in this office. The provisions of Sections 11 and 12 shall apply in the case from ___________. The registration is granted subject to the following conditions:-

Ajay

शर्तें :–

Conditions:

1. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान धारा 12एए(1)(बी) के तहत् पंजीकरण आदेश मात्र से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12 तथा 13 के अधीन कराधान से छूट का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार की कराधान से छूट प्रत्येक निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित वित्त वर्ष में की गई संकल्पित गतिविधियों की वास्तविकता के बारे में निर्धारण अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही प्राप्त होगी तथा उस पर सभी विधि के प्रावधान लागू होगें। इस छूट हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) की शर्तें भी लागू होगी।

   Order u/s 12AA (1)(b) does not confirm any right of exemption upon the applicant u/s 11,12,and 13 of the Income-tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each financial year relevant to the assessment year and all the provision of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income-tax Act, 1961.

2. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को नियमितरूप से हिसाब रखना होगा तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार इनकी लेखा अंकेक्षण कराना होगा । न्यास विलेख/विधान पत्र में विनिर्दिष्ट प्रत्येक गतिविधि के सम्बन्ध में अलग से लेखा रखना होगा तथा उन लेखों की एक प्रतिलिपि निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करनी होगी। संस्था द्वारा किए जा रहे या की जाने वाली गतिविधियों तथा लक्ष्यीत समूह (लाभान्वित व्यक्तियों) से सम्बन्धित जानकारी संस्था के पंजीकृत/प्रधान कार्यालय पर प्रदर्शित करनी होगी।

   The Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall maintain accounts regularly and shall get these audited in accordance with the provision of section 12A(1)(b) of the Income-tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in deed / memorandum of association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organization.

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(4ए) के अनुपालन में उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक/सांयोगिक व्यापार के लाभों तथा अभिलाभों के लेखे अलग से रखने होगें ।

   Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of the Income-tax Act, 1961.

4. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को प्रत्येक वर्ष, आयकर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में आय की विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

   The Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the act.

5. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान विभाग के साथ सभी पत्राचार में स्थाई खाता संख्या का उल्लेख करना होगा।

   The Trust/Society/Non-profit Company/Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के अधीन इस पंजीकरण से दानदाताओं को धारा 80 जी के तहत् छूट अधिकार स्वतः ही प्राप्त नहीं होगा।
The registration u/s 12AA of the I.T. Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.

7. इस प्रमाणपत्र का निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में टी.डी.एस. की कटौती नहीं करने के दावों के लिए आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/Society/Non-profit Company/Institution.

8. सभी प्रकार से प्राप्त सार्वजनिक धन जिसमें स्थायी अथवा कोई अंशदान शामिल है, उसकी प्राप्ति बैंक खाते के माध्यम से करनी होगी तथा उस बैंक खाता की संख्या निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करनी होगी।
All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account and such Bank Account Number shall be communicated to Assessing Officer.

9. न्यास विलेख/विधान पत्र की शर्तों में उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को देनी होगी। पंजीयन प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि किया गया परिवर्तन आयकर अधिनियम के अधीन "कल्याणार्थ उद्देश्य" की परिभाषा तथा पंजीकरण की निरन्तरता के अनुरूप हैं।
No change in the terms of deed/MOA of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to this office. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

10. कोई भी परिसंपत्ति किसी अन्य, जिसमें कोई न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान शामिल है, को बिना आयकर आयुक्त (छूट),जयपुर की जानकारी के अंतरित नहीं किया जा सकेगा।
No asset shall be transferred without the knowledge of the Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur to anyone, including any Trust/Society/Non-profit Company/Institution etc.

11. न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान के विघटन होने की स्थिति मे, अधिशेष एवं सम्पत्तियां, समान उद्देश्य वाली अन्य सामान्य जनउपयोगी न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को स्थानान्तरित करना होगा तथा कोई भी हिस्सा न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान के पदाधिकारी/लाभार्थी या आयकर अधिनियम की धारा 13(3) मे निर्धारित किसी भी व्यक्ति को नही दिया जा सकेगा।
That in the event of dissolution of Trust/Society/Non-profit Company/Institution its surplus and the assets will be given to a charitable organization with similar objectives and no part of the same will go to any of the trustees/beneficiaries of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution or any person(s) specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.

12. आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्व अनुमोदन के बिना पंजीकृत कार्यालय अथवा आवेदक की गतिविधि के प्रधान स्थान को राजस्थान राज्य से बाहर अंतरित नहीं किया जाएगा।

The registered office or the principal place of activity of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution should not be transferred outside State of Rajasthan except with the prior approval of the CIT (E), Jaipur.

13. यदि बाद में यह पाया जाए कि पंजीयन को गलत प्रत्यावेदन अथवा तथ्यों को छिपाकर, कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है तो इस पंजीयन को आयकर अधिनियम की धारा 12 ए ए (3) के प्रावधानों के अनुसार निरस्त किया जा सकेगा।

If later on, it is found that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per provisions u/s 12AA(3) of the Act.

14. यदि पंजीयन प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि न्यास/संस्थान की गतिविधियाँ सही नहीं है अथवा न्यास/संस्थान उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो पंजीयन अधिकारी किसी भी समय इस पंजीयन को निरस्त कर सकता है।

The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time, if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/Society/Non-profit Company/Institution.

15 आयकर अधिनियम की धारा 12एए(4) के अधीन वर्णित शर्तों के लागू होने की स्थिति में किसी भी समय इस स्वीकृत पंजीयन को निरस्त किया जा सकेगा।

The registration, so granted is liable to be cancelled at any point of time u/s12AA (4) of the Act, if the conditions mentioned therein are attracted

हस्ता/–
(मुकेश वर्मा)
(Mukesh Verma)
आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur

क्रमांकः– आ.आ. (छूट) जयपुर/आ.अ. (मु.)/2017–18/
No. CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2017-18/ 8204

दिनांकः– 31 जनवरी, 2018
Dated: 12-2

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1–निर्धारिती/Assesse- **PRABHA DEVI MEMORIAL SHODH EVAM SIKSHAN SANSTHAN,** Kabri Dungri, Gram Kudiyon Ka Bass, Post-Jorpura(Sundariyawas v.i. Jobner) Tehsil-Kinshangarh Renwal, Jaipur(Raj.)-303382.

2–निर्धारण अधिकारी/Assessing Officer - The Asstt. Commissioner of Income-tax holding charge of Income-tax Officer (Exemptions), Ward-1, Jaipur.

(अजय कुमार गुप्ता)
(Ajay Kumar Gupta)
आयकर अधिकारी (मुख्या.)
Income Tax Officer (H.Qrs.)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur